सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-896/JH/41/2023-RO-RNC

दिनांक: 28.11.2024

सेवा में,

Shri K. Satyanarayana Raju
Managing Director & Chief Executive Officer
Canara Bank,
J. C. Road, Bengaluru-560002 (Karnataka)-560002
Email:- mdceo@canarabank.com

विषय: अभ्यावेदक श्री विजय मुंडे, अध्यक्ष, एससी/एसटी यूनियन, केनरा बैंक रांची मेंन ब्रांच, एसएन. गांगुली रोड़, रांची, पिन कोड - 834001- (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " केनरा बैंक के अनुसूचित जनजाति महिला अधिकारियों को रांची सर्कल से स्थानांतरण करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री जे. हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 6.11.2024 को 03:40 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(एच .आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Phone -24641640

प्रतिलिपि :-

1. श्री विजय मुंडे
   अध्यक्ष, एससी/एसटी यूनियन, केनरा बैंक रांची मेंन ब्रांच, एसएन. गांगुली रोड़, रांची, पिन कोड - 834001- (झारखंड)
   (Mobile No:9934261686)
2. PS to Hon'ble Member (J.H), NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री जटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 6.11.2024 को शाम 3:40 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में श्री विजय मुंडु, अध्यक्ष, एससी/एसटी यूनियन, केनरा बैंक, रांची द्वारा बैंक में कार्यरत अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारियों को रांची सर्कल से स्थानांतरित करने के संबंध में ।

(NCST/SER-896/JH/41/2023-RO-RNC)
बैठक की तिथि : 06.11.2024, शाम 03:40 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री विजय मुंडु, अध्यक्ष, एससी/एसटी यूनियन, केनरा बैंक रांची ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17.05.2023 में बताया कि केनरा बैंक, रांची झारखंड में कार्यरत महिला अधिकारियों को रांची सर्कल से पदोन्नति स्थानांतरण से अन्य राज्यों में स्थानांतरण किया गया है, जबकि, सामान्य वर्ग के लोगो को समीप में ही स्थानांतरण किया गया है । अनुसूचित जनजाति महिला अधिकारियों के पदोन्नति में भेदभाव कर उनके वर्तमान रांची सर्कल से दूर दराज शहरो एवं राज्यो में स्थानांतरण किया जा रहा है जो कि अन्याय है । केनरा बैंक के प्रवन्धको को तत्काल अनुसूचित जनजाति की महिलाओ को पदोन्नति स्थानांतरण रांची सर्कल (झारखंड) में तैनात/पोस्टिंग करने निर्देश देने हेतु कार्यवाई करे ।

2. अत: आयोग द्वारा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक, मुख्यालय, बेंगलुरु (कर्नाटक) को दिनांक 25.05.2023 को तथ्य तथा आख्या भेजने हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसके उत्तर में केनरा बैंक ने पत्र दिनांक 29.05.2023 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया कि केनरा बैंक के सभी अधिकारी सेवा विनियम 1979 द्वारा शासित होते है जो की वैधानिक प्राधिकार रखते है । विनियम 47 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा या भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है । स्थानांतरण शासकीय सेवा का हिस्सा है जो की लिंग या जाति के आधार पर नहीं किया जाता कोई भी कर्मचारी किसी विशेष स्थान या पद पर बने रहने का दावा नहीं कर सकता है । आमतौर पर जिन अधिकारियों ने न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है , वे स्थानांतरण के लिए पात्र है एवं वर्तमान में सभी स्थानांतरित कर्मचारी न्यूनतम 6 वर्ष से अधिकतम 17 वर्ष की अवधि के लिए रांची सर्किल के भीतर विभिन्न शाखाओं में सेवा दे रहे है । इनमे से कई महिला अधिकारियों को उनके गृह राज्य में काफी समय के लिए समायोजित किया गया है एवं रांची सर्किल में उनकी सेवा की वरिष्ठता को देखते हुए उनका स्थानांतरण किया गया है । उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार सामान्य श्रेणी की महिला कर्मचारियों का भी रांची सर्किल से अन्य स्थानो में तबादला किया गया है । महिला कर्मचारियों को शाखाओं/प्रशासनिक इकाइयों में बुनियादी सुविधाओं वाले स्थानों पर तैनात करने पर ध्यान दिया जाता है, जिससे की उन्हे न्यूनतम असुविधा हो । कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण के संबंध में लगाए गए आरोप एवं उनकी पसंद के बारे में पूछा नहीं गया था, निराधार एवं अपुष्ट है ।

3. पत्र की प्रति आवेदक को दिनांक 10.07.2023 को सूचना हेतु भेजी गई । जिसके उत्तर में आवेदक ने पत्र दिनांक 20.07.2023 द्वारा असंतुष्टि प्रस्तुत की जिसको आयोग ने पत्र दिनांक 17.08.23 द्वारा पुन: आख्या हेतु केनरा बैंक को भेजा। जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

जाटोतु हुसैन / Jatothu Hussain
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

५. आयोग ने दिनांक 6.11.2024 को 3:40 PM NCST लोक नायक भवन , नई दिल्ली में सीटिंग आयोजित की, जिसकी सूचना आयोग के पत्र दिनांक 29.10.2024 के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक, बेंगलुरु तथा आवेदक को भेजी।

5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से बताया कि सिटिंग के दिन बिजनेस मीटिंग होने के कारण वह उपस्थित नहीं हो पाएंगे और बताया कि मुख्य महा प्रबन्धक सिटिंग में उपस्थित होंगे । सिटिंग में मुख्य महा प्रबन्धक तथा उप प्रबन्धक उपस्थित हुये जबकि आवेदक उपस्थित नहीं हुये ।

6. केनरा बैंक के अधिकारियों ने अपनी पिछली बातें दोहराई और कहा कि बैंक जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। प्रशासनिक कारणों से अनुसूचित जनजातियों कर्मचारियों /अधिकारियों का तबादला किया गया है । बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदो की रिक्तियों के बारे में आयोग को सूचित किया तथा बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाई से भी अवगत कराया ।

7. बैंक के अधिकारियों को सुनने के बाद, निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा सुझाव दिया कि सिटिंग के कार्यवृत प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कृत कार्यवाई आयोग को प्रेषित करे –

- बैंक द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति की प्रति आयोग को उपलब्ध कराये
- पिछले तीन वर्षों में केनरा बैंक द्वारा रांची सर्कल से दूसरे सर्कल में स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की सूची (नाम एंव पद सहित) उपलब्ध कराये

(जटोतु हुसेन)
सदस्य
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

जाटोतु हुसेन / Jatothu Hussain
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

F.No NCST/SER-896/JH/41/2023-RO-RNC

List of participants of the sitting held on 06.11.2024 at 3:40 PM under the Chairmanship of Shri Jatothu Hussain, Hon'ble Member, NCST in the case of श्री विजय मुंडू, अध्यक्ष, एससी/एसटी यूनियन, केनरा बैंक रांची मेंन ब्रांच, एसएन. गांगुली रोड़, रांची , पिन कोड - 834001- (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " केनरा बैंक के अनुसूचित जनजाति महिला अधिकारियों को रांची सर्कल से स्थानांतरण करने के संबंध में ।

I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Mukesh Investigator		
4.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
5.			
II	**Canara Bank**		
Sr. No.	**Name and Designation**	**Address & Phone No.**	**Signature**
1	Shri. D. Surendran CGM, Canara Bank	6364691046	[signature]
2.	S. Vijai DM, Canara Bank	9845959672	[signature]
III	**Petitioner**		